न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी -गितेश श्री मालवीय-RAS

(1.) प्रकरण संख्या- डी 22 सन-2019

पंजीयन दिनांक - 07/02/2019

- उनवान -

1 रामेश्वर पिता बालूराम ब्राह्मण निवासी कपासन मृतक के बजाय

1/1 कालूराम पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी कपासन मृतक के बजाय --------

1/1/1 देउ बाई पत्नी कालू लाल ब्राह्मण निवासी बुद्धा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 ज्योति प्रकाश पिता कालू लाल ब्राह्मण निवासी बुद्धा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/1/3 मुकेश पिता कालूराम ब्राह्मण निवासी बुद्धा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/1/4 रेखा पिता कालू लाल ब्राह्मण निवासी बुद्धा खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 कैलाश बाई पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

2 बंशीलाल पिता बालूराम ब्राह्मण निवासी कपासन मृतक के बजाय

2/1 अनिल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

2/2 सोहन बाई पत्नी बंशीलाल ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

---- अपीलान्ट

बनाम

1 हीरालाल पिता बालूराम ब्राह्मण निवासी कपासन मृतक के बजाय

1/1 कमला पत्नी श्री हीरालाल ब्राह्मण निवासी जनता क्लीनिक के पास कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 गोपाल लाल पिता श्री हीरालाल ब्राह्मण निवासी जनता क्लीनिक के पास कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 ओमप्रकाश पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी जनता क्लीनिक के पास कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1/4 राजकुमार पिता हीरालाल ब्राह्मण निवासी जनता क्लीनिक के पास कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

2 भूमिधारी तहसीलदार ,तहसील-कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

--- रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी,कपासन बमुकदमा नंबर 99/2016 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2017

उपस्थिति वक्त बहस- ललित झंवर अधिवक्ता अपीलार्थीगण

के.सी. तुल्छिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण बहस दिनॉक 10/02/2023 को उपस्थित एवं दिनॉक 12/05/2023 को अनुपस्थित

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक - 25/05/2023

1 अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी -कपासन द्वारा बमुकदमा नंबर 99/2016 दिनांक 02/11/2016 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2 संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपिलांटगण व रेस्पोंडेंट संख्या दो प्रतिवादीगण के विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या एक वादी ने एक दावा बटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो दिनांक 27/06/2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। उक्त निर्णय कानूनी तथ्यों के विपरीत होकर अपिलान्ट संख्या 2 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 के देहांत के बावजूद नाम कायमी की कार्रवाई नहीं करवाई गई। एवं मृत व्यक्तिओं के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया। इसके साथ ही बिना राजीनामा व बिना सूचना के सीधे लोक अदालत में दावा डिक्री किया गया। इस से व्यथित होकर अपिलान्टगण ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया।

3 अपील दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई।

4 हमने अपिलान्टगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता रेस्पोंडेंटगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। दिनॉक 10/02/2023 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई थी।

5 दोराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपिलान्टगण ने अपील के प्रमुख बिंदुओं को दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बिना राजीनामे के बिना सुनवाई के निर्णय कर प्राथमिक डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

6 प्रत्युत्तर में पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बहस के पत्रावली में नॉटेड बिंदुओं के आधार पर अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एकदम ठीक है। अतः अपील अस्वीकार फरमाई जावे।

7. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का अवलोकन किया और पाया गया कि विलंब के ठोस आधार है। अतः विलंब को कंडोन किया जाता है।

8 हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी किया।

अवलोकन

9 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 02/11/2016 को वाद पत्र दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की गई। पत्रावली समन तलबी और जवाब दावा हेतु नियत थी परंतु दिनांक 27/06/2017 को पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई और बिना किसी राजीनामे व बिना सूचना के पत्रावली में निर्णय पारित कर प्राथमिकडिक्री जारी की गई। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय और प्राथमिक डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी गण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है तथा लोक अदालत की भावना के विपरीत बिना राजीनामा व बिना सहमति के निर्णय और प्राथमिक डिक्री पारित की है। अतःअपील स्वीकार योग्य होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27/06/2017 को पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य है।

10 उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखंड अधिकारी कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 99/2016 दिनांक 27.06.2017 को पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण के समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 25/05/2023 को सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो।

25/05/2023

(गितेश श्री मालवीय आर ए एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज०)